न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/233 (233/2021)

रामस्वरूप पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल आबाद लेने नं0 3 सम्भा जी नगर देहू आलन्दी रोड़ मौसी पूना–412105

—अपीलांट

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमागनढ–फौत
   1/1 कृष्ण कुमार पुत्र धर्मपाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
   1/2 आशीष पुत्र धर्मपाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –फौत
   1/2/1 बिरजेश पत्नी आशीष पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/2/2 कपिल उम्र 11 वर्ष पुत्र स्व0 आशीष पुत्र धर्मपाल नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता बिरजेश पत्नी आशीष जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा हाल जयहिन्द स्कूल के सामने भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/3 मन्जू पुत्री धर्मपाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी श्योराणा अस्पताल के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
   1/4 प्रमिला पुत्री धर्मपाल पत्नी नरेश नेण जाति जाट निवासी गांव नाथवानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. लिलुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. मेहरचन्द पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. प्रतापसिह पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. फुलीदेवी पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. आर.एम.जी.बी. कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2018
द्वारा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा प्र. सं. 198/2016
धर्मपाल बनाम लीलूराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 29.9.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन का एक वाद पेश किया। जिसमें कथन कियाकि सही मोजा कलाना तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 508/488 के खसरा नं0 950 की 1.986 है0, खसरा सं0 951 की 8.007 है0 खसरा सं0 953 की 3.795 है0 कुल तादादी 13.788 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि में वादी धर्मपाल का 2.581 है0 प्रतिवादी लिलूराम के नाम 3.477 है0 प्रतिवादी मेहरचन्द के नाम 3.447 है0, प्रतिवादी प्रतापसिह, रामस्वरूप के नाम 3.064 है0 ब.हि. ग., प्रतिवादी फुलीदेवी के नाम से 1.149 है0 खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि का वादी एवं प्रतिववादीगण के बीच बाहमी बंटवारा हो गया था जिसमें वादी के हिस्सा में वाद भूमि के खसरा सं0 953 के उत्तरी तरफ की भूमि बंटवारा में आई हुई है। बाहमी बंटवारा होने के बाद भी वाद भूमि का खाता मुश्तर्का चला आ रहा है जिसके कारण पक्षकारान के मध्य विवाद रहता है। अतः वादी की भूमि का बंटवारा किया जाकर भूमि का माल एवं लगान अलग कायम किया जावे वादी के विभाजन हिस्सा तक आवागमन के लिए रास्ता आदि का भी अंकन किया जावे।

2. विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की एवं प्रार्थी का वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट की तरफ से तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। लिहाजा अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट विचाराधीन वाद के समय से ही गांव कलाना से बाहर आजिविका यापन हेतू पूना सपरिवार चला गया था वहां का राशन कार्ड गैर कनैक्शन के दस्तावेज एवं आधार कार्ड जो पूना काबना हुआ है अपील के साथ अपीलाण्ट प्रस्तुत कर रहा है। अपीलाण्ट गांव में निवास नहीं करता इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस जो रजिस्टर्ड डाक से जारी किया जाना बताया गया है अपीलाण्ट को कभी प्राप्त नही हुआ। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने खसरा नं. 953 की उतरी तरफ की भूमि बाहमी बंटवारा में उसे प्रापत होने का कथन कतई मिथ्या कथन किये हैं। अपीलाण्ट की विधिवत तामील ना करवाकर समस्त तथ्यों को छिपाने की नियत से सही पता पर नोटिस ना भिजवाकर एक पक्षीय डिक्री प्राप्त की गई है। रेस्पोडेण्ट ने कतई साजबाज तरीके से खसरा नं. 953 की उतरी तरफ की 2.681 है0 भूमि अपने नाम से प्रस्तावित करवाकर निर्णय व डिक्री गलत पारित करवाई है। बेशकीमती भूमि अपने नाम करवा ली है एवं अपीलाण्ट को उंचे धोरों की जामीन दे दी है। अधीनस्थ न्यायलाय ने ना ही मौका कमीश्नर ने विभाजन प्रस्ताव से पूर्व अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2 ता 6 को कोई नोटिस

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिया ना ही प्रस्ताव पर आपत्तियां आमंत्रित की बलिक कतई एकपक्षीय तरीके से विधि विरूद्ध तरीके से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जिसमें ना तो भूमि का अच्छी मंदी के लिहाज से मुल्यांकन किया एवं ना ही रास्ता सम्बन्धित कोई कथन किये। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पलाना नहीं की गई। भूमि का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण के प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1/वादी ने खाता विभाजन का वाद पेश किया था जो डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि विचाराधीन वाद के समय से ही गांव कलाना से बाहर आजिविका यापन हेतू सपरिवार चला गया था पूना वहां का राशन कार्ड गैस कनैक्शन के दस्तावेज एवं आधार कार्ड जो पूना का बना हुआ है अपील के साथ अपीलाण्ट प्रस्तुत कर रहा है। अपीलाण्ट गांव में निवास नहीं करता इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस जो रजिस्टर्ड डाक से जारी किया जाना बताया गया है अपीलाण्ट को कभी प्राप्त नही हुआ। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने खसरा नं. 953 की उतरी तरफ की भूमि बाहमी बंटवारा में उसे प्रापत होने का कथन कतई मिथ्या कथन किये हैं। अपीलाण्ट की विधिवत तामील ना करवाकर समस्त तथ्यों को छिपाने की नियत से सही पता पर नोटिस ना भिजवाकर एक पक्षीय डिक्री प्राप्त की गई है। अपीलाण्ट के कथनों की पुष्टि अपील में उसके द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड गैस कनैक्शन के दस्तावेज एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति से होती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट गांव कलाना में निवास नहीं करता है वह पूना में निवास करता है। रेस्पोडेण्ट ने खसरा नं. 953 की उतरी तरफ की 2.681 है0 भूमि अपने नाम से करवा ली हैं। अधीनस्थ न्यायलाय ने ना ही मौका कमीश्नर ने विभाजन प्रस्ताव से पूर्व अपीलाण्ट को कोई नोटिस दिया ना ही प्रस्ताव पर आपत्तियां आमंत्रित की गई। ना तो भूमि का अच्दी मंदी के लिहाज से मुल्यांकन किया एवं ना ही रास्ता सम्बन्धित कोई कथन किये। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पलाना नहीं की गई। भूमि का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2018 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 29.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★